अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 14 जनवरी, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए दिसंबर, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **दिसम्बर, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. विभाग के सहायक निदेशक, (राजभाषा)

उपभोक्ता मामले विभाग

दिसम्बर, 2020 माह का मासिक सारांश

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2020 का आयोजन:

1.1 विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों पर आभासी (वर्जुअल) कार्यक्रम आयोजित कर 24 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2020 मनाया। इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संगठनों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों, बीआईएस और विभिन्न उद्योग एसोसिएटों में 550 से अधिक सहभागियों ने डिजिटल रूप में भाग लिया। अधिनियम की प्रमुख धाराओं जैसे व्यापारियों/ विनिर्माताओं की देयता, अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध सुरक्षोपाय आदि के बारे में कैसे जागरुकता पैदा की जाए, यह प्रमुख विषय था। आईआईपीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाले स्कूली बच्चों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया।

1.2 इस अवसर पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षणशाला, मुंबई के चरण-II भवन का आभासी उद्घाटन किया। एनटीएच के नए परिसर में एयर कंडीशनर, खिलौनों और ई-व्हैकिल बैटरियों जैसे उत्पादों के परीक्षण के लिए उच्च कोटि की परीक्षण सुविधाएं होंगी।

2. उपभोक्ता शिकायतों की ई-फाइलिंग:

2.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की एक महत्वपूर्ण विशेषता है – उपभोक्ता शिकायों की ई-फाइलिंग। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक ई-फाइलिंग एप्लीकेशन "edaakhil.nic.in" विकसित किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग और दिल्ली, महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों में ई-फाइलिंग एप्लीकेशन पहले ही शुरू किया जा चुका है। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अन्य नौ राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों-नामत: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस एप्लीकेशन की शुरूआत की गई। जिन उपभोक्ताओं के पास उपभोक्ता आयोग में शिकायत की ई-फाइलिंग के लिए साधन नहीं था उन्हें सामान्य सेवा केंद्रो के माध्यम से "edaakhil.nic.in" एप्लीकेशन उपलब्ध करवाने के लिए विभाग इन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय कर रहा है।

3. उपभोक्ता जागरुकता और प्रचार संबंधी पहलें:

3.1 जागरुकता सृजन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए विभाग ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों, जैसे ई-कॉमर्स, उत्पाद देयता, शिकायतों की ई-फाइलिंग पर और विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अंतर्गत पैकबंद वस्तुओं से संबंधित जानकारी के अनिवार्य प्रदर्शन से संबंधित नियमों के बारे में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 26 वीडियो विकसित किए हैं। उपभोक्ता जागरुकता वीडियो को पंचायती राज मंत्रालय और आईसीएआर के साथ साझा किया गया है ताकि वे क्रमश: पंचायतों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रदर्शित

कर सकें। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करवाने की प्रक्रिया के बारे में पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन करने की सामग्री भी व्यापक प्रसार के लिए राज्य सरकारों और डाक विभाग के साथ साझा की गई है।

4. सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल:

4.1 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, के अंतर्गत विभाग की निम्नलिखित गतिविधियों में उद्योग अंतरापृष्ट शामिल होता है।

(i) बाट और माप के आयातकर्ताओं का पंजीकरण;

(ii) विनिर्माता/पैकट/पैकबंद वस्तुओं के आयातकर्ता का पंजीकरण;

(iii) निदेशकों का नामांकन;

(iv) बाट और माप के मॉडलों का अनुमोदन;

4.2 सुगम व्यापार को सुकर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए और उन्हें नवम्बर 2020 से प्रचालनात बनाया गया। शुरु-शुरु में आवेदनों को ऑनलाइन और दस्तावेजी रूप में प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था। इस पर प्रतिक्रिया प्रोत्साहन देने वाली थी और दिसंबर, 2020 में कुल 250 में से 128 आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए गए। पहली तीन श्रेणियों के आवेदन पत्रों को संसाधित करने के लिए आवश्यक समय को अब पूर्ववर्ती 3-4 सप्ताह से घटाकर तीन दिन कर दिया गया है। 01 जनवरी 2021 से सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जा रहे हैं।

4.3 जहां तक चौथी श्रेणी अर्थात् मॉडलों के परीक्षण और अनुमोदन का संबंध है, यह पोर्टल विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों के परीक्षण में भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) द्वारा लिए गए समय की वास्तविक समय निगरानी करने में समर्थ बनाएगा।

5. माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें:

5.1 " आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा " के संबंध में जीओएम की एक बैठक दिनांक 29.12.2020 को आयोजित की गई।

5.2 " आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा " के संबंध में सीओएस की एक बैठक दिनांक 10.12.2020 को आयोजित की गई।

5.3 सीआईपीएचईटी के साथ एक बैठक आयोजित की गई।